E-ISSN: 2583-9667
Indexed Journal
Peer Reviewed Journal
https://multiresearchjournal.theviews.in

Received: 02-05-2025
Accepted: 10-06-2025
Published: 15-07-2025

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCE RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY

Volume 3; Issue 3; 2025; Page No. 525-530

असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी

[1]Ashwini Kumar Singh and [2]Dr. Alok Kumar Pandey

[1]Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India
[2]Associate Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur, Madhya Pradesh, India

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.22639467

Corresponding Author: Ashwini Kumar Singh

सारांश

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास महिलाओं के योगदान का उल्लेख किए बिना अधूरा रहेगा। भारत की महिलाओं द्वारा किए गए बलिदान को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा। उन्होंने सच्ची भावना और अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी और हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए विभिन्न यातनाओं, शोषण और कठिनाइयों का सामना किया। स्वतंत्रता-पूर्व काल में देश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। गांधीजी के असहयोग अभियान में सभी सरकारी संस्थानों का बहिष्कार, साथ ही भारतीय वस्त्रों को पूरी तरह अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था। इस कानून का विरोध करने के लिए करीब 30,000 पुरुषों और महिलाओं ने आंदोलन किया था।

मूल शब्दः असहयोग आंदोलन, महिलाओं, भारतीय, स्वतंत्रता और बलिदान।

प्रस्तावना

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अगर हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन में महिला नेताओं के नाम याद करें, तो हम पाएंगे कि यह सूची बहुत लंबी है। राष्ट्रीय स्तर पर सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, कमलादेवी चट्टोपाध्याय और मृदुला साराभाई से शुरू करके, हम केरल में एनी मैस्करेन और एवी कुट्टीमालुम्मा, मद्रास प्रेसीडेंसी में दुर्गाबाई देशमुख, यूपी में रामेश्वरी नेहरू और बी अम्मान, दिल्ली में सत्यवती देवी और सुभद्रा जोशी, बॉम्बे में हंसा मेहता और उषा मेहता और कई अन्य जैसे प्रांतीय स्तर के नेताओं तक जा सकते हैं। वास्तव में, हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन की प्रकृति ऐसी है कि क्षेत्रीय स्तर और अखिल भारतीय स्तर के नेताओं के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल है। कई महिलाओं ने स्थानीय स्तर पर शुरुआत की और राष्ट्रवादी केंद्र मंच पर खिलाड़ी बन गईं। इन सभी भारतीय महिलाओं के अलावा, एनी बेसेंट और मार्गरिट कजिन्स जैसी आयरिश महिलाएं भी थीं, जिन्होंने ब्रिटिश शोषण के आयरिश अनुभव के अपने ज्ञान को भारत पर लागू किया।

असहयोग आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई, खासकर पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता (पूर्व में कलकत्ता) जिले में, जो कि तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी में था। कलकत्ता की महिलाओं ने बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के महिला कर्मा समाज या महिला संगठन बोर्ड के संगठन के तहत खुद को संगठित किया था। उन्होंने कानून की खुली अवहेलना शुरू की, बैठकें आयोजित कीं और असहयोग के संदेश का प्रचार किया।

उन्होंने जो गतिविधियाँ आयोजित कीं, उनमें सड़कों पर खादी बेचना, धरना देना, पुरुषों की मदद के बिना जुलूस निकालना शामिल था। बसंती देवी, उर्मिला देवी, नेली सेनगुप्ता, मोहिनी देवी, लाबन्या प्रभा चंदा सहित कई महिला नेताओं ने इन गतिविधियों की जिम्मेदारी ली और लोगों का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के परिणामों का बहादुरी से सामना किया, जिसमें अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया जाना भी शामिल था। कलकत्ता में, असहयोग आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी ने औपनिवेशिक प्रशासन में दहशत के संकेत भेजे। उनकी भागीदारी ने विरोध और धरना के एक मॉडल के रूप में काम किया, जिसकी गांधी सहित कई नेताओं ने प्रशंसा की।

1921 की शुरुआत से ही असहयोग और बहिष्कार का अभियान बहुत जोश के साथ शुरू हुआ। हालाँकि, हम एक चरण से दूसरे चरण में आंदोलन के केंद्रीय जोर में कुछ बदलाव पाते हैं। जनवरी से मार्च 1921 तक के पहले चरण में, मुख्य जोर स्कूलों, कॉलेजों, कानूनी अदालतों के बहिष्कार और चरखे के इस्तेमाल पर था। व्यापक छात्र अशांति थी और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे शीर्ष वकीलों ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इस चरण के बाद अप्रैल 1921 से दूसरा चरण शुरू हुआ। इस चरण में मूल उद्देश्य अगस्त 1921 तक तिलक स्वराज फंड के लिए एक करोड़

रुपये इकट्ठा करना, एक करोड़ कांग्रेस सदस्यों को नामांकित करना और 30 जून तक 20 लाख चरखे लगाना था।
जुलाई से शुरू होने वाले तीसरे चरण में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार, नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की आगामी यात्रा का बहिष्कार, खादी और घड़े का प्रचार-प्रसार तथा कांग्रेस स्वयंसेवकों द्वारा जेल भरो पर जोर दिया गया। नवंबर 1921 के बीच अंतिम चरण में उग्रवाद की ओर बदलाव दिखाई दिया। कांग्रेस स्वयंसेवकों ने लोगों को एकजुट किया और देश विद्रोह के कगार पर था। गांधी ने बारडोली में राजस्व नहीं अभियान शुरू करने का फैसला किया, और भाषण, प्रेस और संघ की स्वतंत्रता के लिए एक बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में गुस्साए किसानों द्वारा एक स्थानीय पुलिस स्टेशन पर किए गए हमले ने पूरी स्थिति बदल दी। इस घटना से आहत गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।

साहित्य समीक्षा

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐतिहासिक विकास में महिलाओं के योगदान, भारतीय महिलाओं द्वारा किए गए बलिदान का उल्लेख होगा। लगभग सभी व्यावसायिक मानदंडों के। स्वतंत्रता संग्राम महिलाओं के इतने सारे जीवन के बलिदान, त्याग और निस्वार्थता से भरा हुआ है। बहादुर महिलाएं हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि सैकड़ों महिलाएं थीं जो अपने पुरुषों से अधिक मजबूत थीं। उन्होंने सच्ची भावना और साहस के साथ लड़ाई लड़ी। भारतीय महिलाएं विभिन्न प्रतिबंधों से अलग हो गईं और अपने पारंपरिक घर और अन्य उन्मुख भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से बाहर निकल आईं। इसलिए, पुरुष प्रधान समाज में योद्धाओं के रूप में लड़ने के लिए महिलाओं की विशेष भागीदारी। पुरुष प्रधान और घरेलू समाज में योद्धाओं के रूप में लड़ने के लिए महिलाओं की असाधारण और अथाह। एमपी, भव्या एट अल. (2023) [1].
भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास महिलाओं के योगदान का वर्णन किए बिना अधूरा रहेगा। भारत की महिलाओं ने जो किया है, वह अमूल्य है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास महिलाओं के त्याग, बलिदान और वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। हममें से बहुत कम लोग जानते हैं कि सैकड़ों महिलाएँ ऐसी थीं, जिन्होंने अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने सच्ची भावना और अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी। भारतीय महिलाओं ने विभिन्न प्रतिबंधों को तोड़कर अपनी पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। इसलिए, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय जागरण के संघर्ष में महिलाओं की भागीदारी अविश्वसनीय और सराहनीय है। हालाँकि, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के लिए योद्धा के रूप में लड़ना आसान नहीं है। भले ही महिलाओं ने रूढ़िवादी लोगों की धारणा को बदलने की कोशिश की हो, जो सोचते थे कि महिलाएँ सिर्फ घर के काम करने के लिए होती हैं। कौर, गुरजीत. (2022) [2].
महिलाओं को कमज़ोर कहना अपमान है, यह पुरुषों द्वारा महिलाओं के साथ अन्याय है। अगर ताकत का मतलब नैतिक शक्ति है, तो महिलाएँ पुरुषों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। क्या उनमें ज़्यादा अंतर्ज्ञान नहीं है, क्या उनमें ज़्यादा आत्म-बलिदान नहीं है...क्या उनमें ज़्यादा सहनशक्ति नहीं है, क्या उनमें ज़्यादा साहस नहीं है? उनके बिना पुरुष का अस्तित्व नहीं हो सकता। अगर अहिंसा हमारे अस्तित्व का नियम है, तो भविष्य महिलाओं के हाथ में है। मैं वर्षों से इस विचार को पाल रहा हूँ।" (महात्मा गांधी) जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें भारतीय महिलाओं द्वारा किए गए बलिदानों को अवश्य ही सबसे प्रमुख स्थान मिलेगा। महिलाओं को कमजोर वर्ग कहना अपमानजनक था, यह पुरुषों द्वारा उनके साथ किया गया अन्याय था। यदि उनका तात्पर्य नैतिक साहस से था, तो महिलाओं में यह पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक था। यदि उनमें पुरुषों की तुलना में अधिक आंतरिक शक्ति, आत्म-बलिदान और सहनशीलता न होती, तो मानव जाति का अस्तित्व ही नहीं बचता। यदि मनुष्य अहिंसा से शासित होता, तो भविष्य महिलाओं का होता। पाल, रीना. (2019) [3].
स्वतंत्र भारत के संघर्ष के अनकहे, अनसुने और अनदेखे तथ्य। स्वतंत्रता संग्राम की यात्रा में भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका। पुरुष स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका के बारे में हर कोई बात करता है। हालाँकि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों के बिना स्वतंत्र भारत की प्राप्ति एक सपना ही रह जाती। दूसरे नागरिक के रूप में माने जाने से लेकर, घरेलू हिंसा का शिकार होना, अशिक्षित आबादी, सती प्रथा का पालन करना और खुद को महान स्वतंत्रता सेनानी नेताओं में बदलना बहुत से लोगों के लिए अज्ञात है। असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनने से लेकर सत्याग्रह करने और खादी को बढ़ावा देने और शराब की दुकानों पर धरना देने तक की इस यात्रा में भारतीय महिलाओं ने प्रभावशाली भूमिका निभाई है। उषा मेहता, राजकुमारी गुप्ता, अरुणा आसफ अली, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी गाइदिन्ल्यू, अमल प्रभा दास, अजीजम बाई, गुलन कौर, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने में सर्वोपरि भूमिका निभाई है। भट्टाचार्य, सीई डॉ. सुमंता और अन्य। (2021) [4]।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम निस्संदेह आधुनिक समाज में सबसे बड़े जन भागीदारी वाले आंदोलनों में से एक था। इन स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान, भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों ने देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए भाग लिया। इस प्रक्रिया में, कई पुरुषों और महिलाओं ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान दे दी, जिससे दूसरों को ब्रिटिश अत्याचारों और वर्चस्व से स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने में मदद मिली। स्वतंत्रता आंदोलन में, आम तौर पर, हम मुख्यधारा में इन आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले बड़े नेताओं को जानते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी क्षेत्रीय या महिला स्वतंत्रता सेनानियों के नाम याद करते हैं। लेकिन यह शोध पत्र हाशिए के समूह की महिला नेताओं पर केंद्रित है, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जैसे कि किसान, मजदूर, आदिवासी समुदाय, आदि। यह शोध पत्र उत्तर प्रदेश के परानुचल क्षेत्र की महिला स्वतंत्रता नेताओं और सेनानियों पर केंद्रित है, जिनका उल्लेख पाठ्यपुस्तकों में किया गया था, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। नारायण, जयेंद्र. (2022) [5].

असहयोग आंदोलन

स्वतंत्रता-पूर्व काल में देश में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। इसका मुख्य कारण था, पुरुष प्रधानता का प्रचलन। महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी घर के कामों को पूरा करने तक ही सीमित थी और उन्हें अन्य कार्यों और गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने विचार और दृष्टिकोण को व्यक्त करने की अनुमति नहीं थी। इस काल में कई ऐसी प्रथाएँ लागू की गईं, जिनका महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इनमें बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बहुविवाह शामिल हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के

काल में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्या सागर और ज्योतिबा फुले जैसे कई समाज सुधारकों को भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस काल में कई महिलाएँ थीं, जिन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की।

1918 में भारतीय राजनीति में गांधीजी के प्रमुख स्थान पर पहुंचने का उल्लेख पिछले अध्याय में पहले ही किया जा चुका है। वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक माहौल पर कड़ी नज़र रखने के बाद, उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक नया निष्क्रिय प्रतिरोध हथियार पेश किया, जिसे सत्याग्रह (निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन) के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसे उन्होंने पहले दक्षिण अफ्रीका में आजमाया था।

महिलाओं के अधिकार चर्चा और समानता की मांग का केंद्र बिंदु बन गए। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना दस साल बाद पूरे भारत के लिए स्वशासन के राजनीतिक लक्ष्य के साथ की गई। प्रतिनिधियों ने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम एक जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

महिलाओं के मताधिकार के मुद्दे ने उन्हें एक साथ ला खड़ा किया। राज्य सचिव के प्रतिनिधित्व के बावजूद, इस मुद्दे पर मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना की चुप्पी ने आम भावना को और बढ़ा दिया। प्रस्तावित चुनावी सुधारों और सार्वभौमिक मताधिकार के मुद्दे पर जानकारी एकत्र करने और भारतीय जनता की भावना को समझने के लिए, इस प्रक्रिया में बाद में साउथबोरो समिति की स्थापना की गई। वे एक समूह के रूप में भारत आए। बॉम्बे में, उन्हें प्रेसीडेंसी की 800 महिला अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश मिला। महिला भारत संघ की चालीस शाखाओं, महिलाओं के लिए होम रूल लीग शाखा और बॉम्बे में अखिल भारतीय महिला प्रतिनिधिमंडल के अलावा, कई संगठनों द्वारा इसका अनुरोध किया गया था।

असहयोग आंदोलन के चरण

1921 की शुरुआत से ही असहयोग और बहिष्कार का अभियान बहुत जोश के साथ शुरू हुआ। हालाँकि, हम एक चरण से दूसरे चरण में आंदोलन के केंद्रीय जोर में कुछ बदलाव पाते हैं। जनवरी से मार्च 1921 तक के पहले चरण में, मुख्य जोर स्कूलों, कॉलेजों, कानूनी अदालतों के बहिष्कार और चरखे के इस्तेमाल पर था। व्यापक छात्र अशांति थी और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे शीर्ष वकीलों ने अपनी कानूनी प्रैक्टिस छोड़ दी।

जुलाई से शुरू होने वाले तीसरे चरण में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार, नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की आगामी यात्रा का बहिष्कार, खादी और घड़े का प्रचार-प्रसार तथा कांग्रेस स्वयंसेवकों द्वारा जेल भरो पर जोर दिया गया। नवंबर 1921 के बीच अंतिम चरण में उग्रवाद की ओर बदलाव दिखाई दिया। कांग्रेस स्वयंसेवकों ने लोगों को एकजुट किया और देश विद्रोह के कगार पर था। गांधी ने बारडोली में राजस्व नहीं अभियान शुरू करने का फैसला किया, और भाषण, प्रेस और संघ की स्वतंत्रता के लिए एक बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया।

बंगाल

इस समय बंगाल की महिलाएँ आगे आईं, लेकिन उनके प्रदर्शन छोटे थे और उनकी गतिविधियाँ बॉम्बे की महिलाओं की तुलना में अधिक क्रांतिकारी थीं। राजधानी शहर भी क्रांतिकारी संघर्ष का केंद्र था और महिला कॉलेज नए सदस्यों की भर्ती के केंद्र बन गए। जिले के कस्बों और गांवों में महिलाएँ जुलूसों में शामिल हुईं, खद्दर पहनी और भागते हुए क्रांतिकारियों को छिपाया। बंगाली राष्ट्रवाद ने हमेशा हिंसा को महत्व दिया था और इस लोकाचार ने स्वतंत्रता संग्राम में बंगाली महिलाओं की भागीदारी को गहराई से प्रभावित किया।

मद्रास

मद्रास में महिलाओं के राजनीतिक प्रदर्शन बॉम्बे या बंगाल की तुलना में कम नाटकीय थे। महिलाओं ने धरना दिया और जुलूस निकाले, लेकिन कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं को जुटाना हमेशा मुश्किल रहा। मद्रास की महिलाएँ कभी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल नहीं हुईं, न ही उन्हें पुलिस की अत्यधिक हिंसा का सामना करना पड़ा। इसका कारण मद्रास की राजनीति की प्रकृति और इस प्रांत में राष्ट्रवादी आंदोलन के तथ्यों पर निर्भर करता है। सबसे पहले, मद्रास कांग्रेस के भीतर इस बात पर काफी बहस हुई थी कि गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया जाए या नहीं।

उत्तर भारत

उत्तर भारत में इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली और लाहौर की महिलाओं ने सार्वजनिक प्रदर्शनों में भाग लिया और लोगों को चौंका दिया, जो सड़कों पर बिना घूंघट के सम्मानित महिलाओं को देखने के आदी नहीं थे। इन उत्तरी शहरों में प्रदर्शनों में कभी-कभी 1000 से अधिक महिलाएं शामिल होती थीं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर बहुत छोटी थीं।इलाहाबाद में नेहरू परिवार की महिलाएँ महत्वपूर्ण नेता थीं। उन्होंने सार्वजनिक भाषण दिए और घर-घर जाकर महिलाओं से आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। जवाहरलाल नेहरू की बूढ़ी और कमज़ोर माँ स्वरूप रानी नेहरू, जनाना में जीवन बिताने के बाद खद्दर पहनकर सड़कों पर निकलीं।

एक राष्ट्रीय सम्मेलन का गठन

नेशनल होम रूल लीग और उदारवादियों ने 1922 में नेशनल कन्वेंशन की स्थापना का समर्थन किया। संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बेसेंट को संसद के दोनों सदनों में विचार प्रस्तुत करने के लिए शिमला भेजा गया, जो उस समय सत्र में थे। कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एक कार्यकारी समिति बनाई गई थी। 1923 में दिल्ली सम्मेलन में पुनः पुष्टि हुई। इस संगठन को मान्यता देने और इंग्लैंड में यूनाइटेड इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करने के लिए बेसेंट द्वारा इंग्लैंड में एक निजी निगम बनाया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सहकर्मी-चयनित सूची और भारतीय प्रेस को यह भेजा गया।

इसके अतिरिक्त, बेसेंट के नेतृत्व में एक समूह ने अप्रैल 1924 में इस देश की स्वतंत्रता की वकालत करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा की। इंग्लैंड में प्रतिनिधिमंडल की गतिविधियों में व्याख्यान और चर्चाएँ, लंदन और मैनचेस्टर में प्रदर्शन, भारतीय संसदीय समिति के साथ एक विशेष बैठक जिसके माध्यम से हाउस ऑफ़ कॉमन्स के सदस्यों को संबोधित किया जाएगा और सरकारी अधिकारियों के साथ साक्षात्कार शामिल होंगे। डॉ. बेसेंट और अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में, प्रतिनिधिमंडल ने अनुरोध किया कि भारत को डोमिनियन होम रूल दिया जाए।

वार्षिकोत्सव

दूसरी ओर, गांधीजी की नीति श्रीमती गांधी को स्वीकार नहीं थी। एक व्यक्ति जो अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने पर

अराजकता से डरता था। वह बहुत स्पष्ट थी कि उसे यह पसंद नहीं था। उन्होंने 30 दिसंबर, 1920 को नेशनल लिबरल फेडरेशन की बैठक में बात की। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर काम न करना विद्रोह है, और साथ मिलकर काम न करना विद्रोह है। असहयोग आंदोलन के जवाब में, बेसेंट ने अपनी कांग्रेस सदस्यता वापस ले ली।

श्रीमती बेसेंट ने गांधीजी के खिलाफ अपने रुख के कारण अपने मित्रों और प्रशंसकों को खो दिया। अप्रैल 1919 में उन्होंने नेशनल होम रूल लीग की शुरुआत की, जब उन्हें उनके अपने होम रूल लीग के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया गया। बाद में उन्होंने संसद द्वारा नियुक्त जांच समिति के समक्ष इसकी ओर से गवाही दी, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड सेलबोर्न ने की थी।

श्रीमती बेसेंट ने इंग्लैंड में भारतीय संसदीय समिति का नेतृत्व किया, और संसद के कई सदस्यों से बनी एक परिषद भी थी। लीग ने इन समूहों के माध्यम से अपना साहित्य और जानकारी भेजी, जबकि श्रीमती बेसेंट और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य इंग्लैंड में थे। लगभग तीन सौ श्रमिक संगठन और ट्रेड यूनियन इस संगठन से जुड़े थे, जिससे यह देश के सबसे बड़े श्रमिक संगठनों में से एक बन गया। भारत की "जोश और क्षमता" ने उन्हें "केंद्रीय स्तर पर कम से कम कुछ हद तक मुक्ति" के साथ देश का प्रतिनिधित्व करने में मदद की।

महिला विधायक

जब 1926 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, तो ये महिलाएँ निर्णायक थीं। ऐतिहासिक रूप से, महिलाओं के मतदान के अधिकार बेहद सीमित थे। मद्रास की 22% महिलाएँ, बॉम्बे की 13%, बंगाल की 9.6% और उत्तर प्रदेश की 4% महिलाओं ने इन पंजाब, पंजाब, बंगाल और अमेरिका के चुनावों में मतदान किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय देश में पद के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थीं। 4,461 वोट और 4,979 वोटों के साथ, वह बहुत कम अंतर से सीट हार गईं।

त्रावणकोर, अन्य भारतीय राज्यों के बीच महिलाओं को सदन में स्थान देने वाला पहला भारतीय राज्य था। भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, डॉ. पून्नन डुकोस ने सराहनीय कार्य किया। कोचीन विधान परिषद ने माधवी अम्मल को अपना नया सदस्य चुना।

मद्रास शहर ने एक बार फिर ब्रिटिश भारत में नेतृत्व किया। इसने मुथुलक्ष्मी रेड्डी को विधान परिषद के लिए मनोनीत किया। जब वह मद्रास विधान सभा में परिषद की उपाध्यक्ष बनीं, तो उनका करियर अभी शुरू ही हुआ था। मद्रास विश्वविद्यालय में, मुथुलक्ष्मी रेड्डी पहली महिला डॉक्टर बनीं। जब 1917 में पहली बार महिला भारत संघ की स्थापना हुई, तो वह संगठन की सदस्य थीं। महिलाओं के मताधिकार के संबंध में राज्य सचिव से मिलने वाले समूह का हिस्सा होने के साथ ही वह प्रतिनिधिमंडल की सदस्य भी थीं।

श्रीमती रेड्डी का काम यह सुनिश्चित करना था कि देवदासी प्रथा को समाप्त किया जाए और वेश्यालयों को बंद रखने तथा नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाएं, जब वह परिषद में थीं। उन्होंने बाल अधिनियम में बहुत सारे बदलाव किए। उन्होंने स्वास्थ्य - विद्यालय और बाल वार्ड बनवाने के लिए भी काम किया। केंद्रीय विधानमंडल में लोगों ने शारदा अधिनियम भी पारित किया, जिसे रेड्डी ने आगे बढ़ाया।

मद्रास में शहर की पहली एल्डरवुमन के रूप में अपने दो वर्षों के दौरान रेड्डी के लिए बच्चों, भिखारियों की शिक्षा और अन्य सामाजिक मुद्दे महत्वपूर्ण थे।

मुथुलक्ष्मी रेड्डी को 1928 में इंग्लैंड में हार्टोग समिति की बैठक के दौरान राज्य सचिव द्वारा भारत में महिलाओं की शैक्षिक वृद्धि और चुनौतियों की जांच करने के लिए कहा गया था। वह उसी समय इंग्लैंड में थीं। भारत से घर लौटते समय महिला अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की एक बैठक में, वह भारत की एक प्रतिनिधि थीं जिन्होंने देश के लिए बात की।

श्रीमती रेड्डी जो काम कर रही थीं, वह उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि वे राजनीति में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाईं। यही हुआ: देश को छोटा बना दिया गया और उसकी अर्थव्यवस्था का शोषण किया गया। ये चीजें दुनिया को बेहतर जगह बनाने में दुर्गम बाधाएं थीं।

बारडोली सत्याग्रह-1928

सरदार पटेल ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के बारडोली में कर-मुक्ति अभियान का नेतृत्व किया था। वित्तीय अन्याय को ठीक करने के लिए यह प्रयास किया गया था। बॉम्बे की सरकार ने 1924 के बॉम्बे प्रेसीडेंसी प्रस्ताव के बावजूद, कुछ स्थितियों में ग्रामीण कराधान को 20% से बढ़ाकर 60% करके संयुक्त संसदीय समिति और पूरे देश की सलाह के खिलाफ काम किया। जनता के आक्रोश के परिणामस्वरूप, जांच करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल स्थापित किया गया था। सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

करों का भुगतान नहीं किया जा रहा था क्योंकि लोग भुगतान नहीं करना चाहते थे। इस समस्या के जवाब में, अधिकारियों ने मानक लाठीचार्ज, कारावास, जुर्माना और भूमि नीलामी का उपयोग किया है। हालाँकि, इनमें से किसी भी चेतावनी का आम जनता पर कोई खास असर नहीं हुआ। हालाँकि बारडोली की महिलाएँ शुरू से ही सक्रिय रूप से शामिल थीं, लेकिन उनके पास कार्यकारी अधिकार का अभाव था। बॉम्बे की मिथुबेन पेटिट और भक्तबेन देसी का करिश्मा और नेतृत्व महिलाओं के स्वतंत्रता संग्राम के लिए महत्वपूर्ण था। भले ही उन्हें काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा हो, लेकिन महिलाएँ सत्रों में शामिल हुईं। सैनिकों को प्रेरित करने के लिए, उन्होंने कई जोशीले गीत लिखे थे।

साइमन कमीशन

1928 में भारत आते समय साइमन कमीशन आया। चूँकि कमीशन में कोई भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने इसका बहिष्कार किया। उसी दिन सर्वदलीय सम्मेलन ने डोमिनियन-स्टेटस संविधान के पक्ष में मतदान किया, जिसे आमतौर पर नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। सविनय अवज्ञा से बचने के लिए, ब्रिटिश संसद ने 31 दिसंबर, 1929 तक इस संविधान को इसके वर्तमान स्वरूप में अपनाने पर सहमति व्यक्त की, और कलकत्ता कांग्रेस ने भी ऐसा करने पर सहमति व्यक्त की।

असहयोग आंदोलन: महिलाओं की भागीदारी

असहयोग आंदोलन 4 सितम्बर 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था जिसका उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करना था, जिसका उद्देश्य भारतीयों को स्वशासन देने के लिए राजी करना था।

यह 18 मार्च 1919 के रौलट एक्ट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा ब्रिटिश सुधारों के लिए अपना समर्थन वापस लेने के परिणामस्वरूप हुआ - जिसने राजद्रोह के मुकदमों में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों को निलंबित कर दिया, और इसे भारतीयों द्वारा "राजनीतिक जागृति" और अंग्रेजों द्वारा "धमकी" के रूप में देखा - जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 को जलियाँवाला बाग हत्याकांड हुआ।

यह आंदोलन गांधी के बड़े पैमाने पर सत्याग्रह के पहले संगठित कार्यों में से एक था। असहयोग आंदोलन की गांधी की योजना में सभी भारतीयों को ब्रिटिश उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों सहित "भारत में ब्रिटिश सरकार और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने वाली" किसी भी गतिविधि से अपने श्रम को वापस लेने के लिए राजी करना शामिल था। अहिंसा के माध्यम से, प्रदर्शनकारी ब्रिटिश सामान खरीदने से मना कर देंगे, स्थानीय हस्तशिल्प का उपयोग करेंगे और शराब की दुकानों पर धरना देंगे। खादी कातने, केवल भारतीय निर्मित सामान खरीदने और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करके "आत्मनिर्भरता" को बढ़ावा देने के अलावा, गांधी के असहयोग आंदोलन ने तुर्की के नियोजित विघटन (खिलाफत आंदोलन) को रोकने और अस्पृश्यता को समाप्त करने का भी आह्वान किया। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक रूप से आयोजित बैठकें और हड़तालें (हड़ताल) हुईं, जिसके कारण 6 दिसंबर 1921 को जवाहरलाल नेहरू और उनके पिता मोतीलाल नेहरू दोनों की पहली गिरफ्तारी हुई।

असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए व्यापक आंदोलनों में से एक था और जैसा कि नेहरू ने अपनी आत्मकथा में वर्णित किया है, चौरी चौरा की घटना के बाद 4 फरवरी 1922 को "अचानक" समाप्त हो गया। इसके बाद के स्वतंत्रता आंदोलनों में सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन शामिल थे।

हालांकि अहिंसक होने का इरादा था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में गांधी ने अंततः इस आंदोलन को वापस ले लिया। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोली चलाने के बाद, जिसमें कई लोग मारे गए और घायल हो गए, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का पीछा करते हुए अपने थाने में वापस आकर उसे जला दिया, जिससे शूटर और अंदर मौजूद कई अन्य पुलिस वाले मारे गए। फिर भी, इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रवाद को मध्यम वर्ग के आधार से आम जनता तक पहुँचाया।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। अगर हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन में महिला नेताओं के नाम याद करें, तो हम पाएंगे कि यह सूची बहुत लंबी है। राष्ट्रीय स्तर पर सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मी बाई, विजयलक्ष्मी पंडित, कमलादेवी चट्टोपाध्याय और मृदुला साराभाई से शुरू करके, हम केरल में एनी मैस्करेन और एवी कुट्टीमालुम्मा, मद्रास प्रेसीडेंसी में दुर्गाबाई देशमुख, यूपी में रामेश्वरी नेहरू और बी अम्मान, दिल्ली में सत्यवती देवी और सुभद्रा जोशी, बॉम्बे में हंसा मेहता और उषा मेहता और कई अन्य जैसे प्रांतीय स्तर के नेताओं तक जा सकते हैं।

गांधीवादी आंदोलन में महिलाएँ- I

वर्ष 1930 में भारतीय मुक्ति संग्राम में दो अलग-अलग तरीकों से महिलाओं के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इन महिलाओं के बारे में दो बातें स्पष्ट हैं: पहली, उन्होंने प्रभावशाली और निर्णायक रूप से नेतृत्व करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया और दूसरी, उन्होंने आंदोलन में जबरदस्त तरीके से भाग लिया। गांधीजी के सिद्धांतों और दृष्टिकोण के अनुसार सविनय अवज्ञा की पहली लहर का नेतृत्व केवल पुरुषों द्वारा किया जाएगा। यह देश की महिलाओं और आम तौर पर कांग्रेस का अपमान था। इसलिए यह था कि वे पिछले दशक में एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और कमला देव चट्टोपाध्याय जैसी कई महत्वपूर्ण और सक्रिय महिला नेताओं के लगातार प्रयासों के माध्यम से समानता के अधिकार की चेतना का एक स्तर पहले ही प्राप्त कर चुकी थीं।

लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। स्वतंत्रता की यह नई मांग विदेशी शक्ति द्वारा शासित होने की पिछली इच्छा के सीधे विरोध में है। 26 जनवरी, 1930 को कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की याद में 26 जनवरी को आधिकारिक अवकाश घोषित किया। कांग्रेस सदस्यों द्वारा गाया जाने वाला एक भजन झंडा ऊंचा रहे हमारा भी भारत में इस दिन मनाया गया, जैसा कि सिफारिश की गई थी। दूसरे लाभ के रूप में, इसने गांधी को अपनी इच्छाओं और दृष्टि के अनुसार अभियान चलाने की अनुमति दी।

गांधीवादी आंदोलन में महिलाएँ – II

मताधिकार उप समिति का महत्वपूर्ण सुझाव था कि 1935 के भारतीय अधिनियम में 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार शामिल किया जाए। केवल 21/2 प्रतिशत वयस्क महिलाओं को यह अधिकार दिया गया, जो लगभग छह मिलियन लोगों के बराबर था, जिससे महिलाओं को राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित होने का मौका मिला। यह वास्तव में एक दुर्गम कठिनाई का काम था। महिला संगठनों और व्यक्तियों का मूल्यांकन पुरुष-प्रधान संस्कृति में कई बाधाओं का सामना करने के लिए उनके दृढ़ प्रयासों के लिए किया गया है।

चूँकि महिलाओं की समानता को घर में उनके कार्य पर निर्भर माना जाता था, इसलिए उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वे समान अधिकारों के मामले में घरेलू भूमिका का आसानी से विरोध करेंगी। चूँकि राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, इसलिए उन्हें इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। एमजी रानांडे बीजी तिलक जैसे कई समाज सुधारकों के लिए महिलाओं की समानता कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं थी। महिला संगठनों के महत्व को समझने के लिए, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि उन्हें समाज सुधारकों और राजनीतिक नेताओं द्वारा बनाया गया था जो नवजात महिला आंदोलन के समर्थक थे।

समाज में अपनी कई जिम्मेदारियों के अनुसार, कई पुनरुत्थानवादी आंदोलन इससे आगे नहीं बढ़ पाए। प्राचीन साहित्य में शायद ही कभी पात्रों ने सामाजिक पदानुक्रम में भूमिका निभाने का प्रयास किया हो। कुछ प्रगतिवादियों का मानना था कि महिलाएं केवल शिक्षा और व्यावसायिक विकास के माध्यम से ही अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। केसी सेन और डीके कर्वे लड़कियों के स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए उल्लेखनीय थे, जो एक पत्नी और माँ होने की जिम्मेदारियों पर केंद्रित थे।

निष्कर्ष

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अधूरा रहेगा यदि इसमें देश की आजादी के लिए महिलाओं के योगदान को शामिल न किया जाए। असहयोग आंदोलन के दिन थे, जिसे गांधीजी ने 1920 में शुरू किया था। एक वफ़ादार अनुयायी की तरह उन्होंने महात्मा गांधी के कार्यक्रम का पालन किया और एक बार फिर लड़ाई के बीच में थीं। गांधीजी के असहयोग अभियान में सभी सरकारी संस्थानों का बहिष्कार, साथ ही भारतीय वस्त्रों को पूरी तरह

अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शामिल था। इस कानून का विरोध करने के लिए करीब 30,000 पुरुषों और महिलाओं ने आंदोलन किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी की कहानी साहसिक निर्णय लेने, सड़कों पर, जेल के अंदर और विधायिका में खुद को खोजने की कहानी है। इतने प्रयासों के बाद भारत ने 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए इस आंदोलन में हर क्षेत्र की महिलाओं ने हिस्सा लिया। पंजाब में राजकुमारी अमृत कौर और अमर कौर तथा मध्य प्रदेश में अनसूया बाई काले का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

संदर्भ

1. एमपी भव्या, सोमशेखर सोमशेखर। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का महत्व। इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल एंड ह्यूमैनिटीज़। 2023;2:628-631। doi:10.58631/ijurity.v2i7.101।
2. कौर गुरजीत। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएँ। इंटरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन एप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। 2022;10:118-121। doi:10.22214/ijraset.2022.42100।
3. पाल रीना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका (1905–1927)। 2019;4:30-38।
4. भट्टाचार्य सीई, सचदेव भवनीत। भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की प्रभावशाली भूमिका और उनका योगदान। वर्ल्ड जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च एंड रिव्यूज़। 2021;12:124-130। doi:10.30574/wjarr.2021.12.3.0994।
5. नारायण जयेंद्र। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के संदर्भ में (1905–1947)। 2022। doi:10.5281/zenodo.7316368।
6. दत्ता शुभमेय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी का एक परिचयात्मक अध्ययन: बंगाल के विशेष संदर्भ में। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिस्ट्री। 2022:27-29।
7. घटक सीमा। भारत में महिलाएँ और सामाजिक आंदोलन: ऐतिहासिक और समकालीन आयाम। अडायन जर्नल ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़। 2018;1। doi:10.36099/ajahss.1.1.6।
8. शिरपुरकर डॉ. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं की राजनीतिक स्थिति और भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन। ईपीआरए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च। 2021:168-172। doi:10.36713/epra1529।
9. मिश्रा वसुंधरा, डार मोहम्मद अशरफ। नर्वस नाइनटीज (1857–1947): स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की भागीदारी के विशेष संदर्भ में। 2023;29:55-60।
10. गनी ज़ाहिद, सिसोदिया शांति। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गुमनाम नायिकाएँ। अमेरिकन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। 2020;5:19-25। doi:10.46281/aijssr.v5i2.515।
11. एन. मल्लैया। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान: मध्य कर्नाटक पर ध्यान केंद्रित। जर्नल फॉर रीअटैच थेरेपी एंड डेवलपमेंटल डायवर्सिटीज़। 2021;4। doi:10.53555/jrtdd.v4i2.3077।
12. शंकर बिकलेंदु, कुमार मनीष। बिहार के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का एक अध्ययन। शोधकोश: जर्नल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। 2023;4। doi:10.29121/shodhkosh.v4.i2.2023.2740।
13. भट रशीद। गांधीवादी चरण: महिला समितियां और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। 2022:26-29। doi:10.55529/jwes.21.26.29।
14. नज़ीर तहसीना, भट शाज़िया, लेक्सार्चस प्रकाशक। भारतीय राजनीतिक विचार को आकार देने में महिलाओं की भूमिका: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। 2024;2:23-30।
15. औड्डया बिप्लब। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी। 2021। doi:10.5281/zenodo.5594359।

Creative Commons (CC) License
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.